


न्यायालयश्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा, जिलारी वाम.प्र.



R-387-4113

Handwritten notes in Hindi, including names like 'श्री. शंकरजी' and dates like '14-12-12'.

- 1- इन्द्रमणि त्रिपाठी तनय श्री लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी,
- 2- फूलकली पत्नी श्री दीनानाथ,
- 3- दिवेंद्र कुमार तनय श्री रामसेवक गुप्ता,
- 4- मोतीलाल तनय श्री बूदी प्रसाद,
- 5- दिवेंद्र कुमार तनय श्री रामलखन,
- 6- बूदीलाल तनय श्री सीताराम,
- 7- अवधनारायण सोनी तनय श्री रामनरेश सोनी,
- 8- रमेश कुमार नामदेव पिता श्री बूदसेन नामदेव,
- 9- राधेश्याम तनय श्री मनमोहन प्रसाद,

10- सुंक्कुमार पिता श्री ईश्वरदीन,  
 सभी निवासी ग्राम ब्येड़ी बार्ड क्रमांक 15 नगर पंचायत चाकघाट,  
 तहसील त्योंथर, जिला रीवा रुम090 रु-  
 --निगरानी कर्ता गण-

बिस्त

- 1- गोविन्द प्रसाद तनय श्री रामपियारे उर्फ ज्यारेलाल मिश्र,
  - 2- योगेन्द्र प्रसाद तनय श्री ज्यारेलाल मिश्र,
  - 3- अभिषेक कुमार तनय श्री ज्यारेलाल द्विवेदी,
- सभी निवासी ग्राम ब्येड़ी वार्ड क्रमांक 15 नगर पंचायत चाकघाट  
 तहसील त्योंथर, जिला-रीवा रुम090 रु-  
 ---अनावेक्कगण-

तहसील दार, तहसील त्योंथर, बृत्त चाकघाट  
 द्वारा प्रकरण क्रमांक 1311/2012-13 में-  
 पारित आदेशा प्लानंक 24/11/2012 के बिस्त  
 निगरानी याचिका, अन्तर्गत धारा 50  
 भू-राजस्व संहिता।

मान्यवर,

निगरानी के आधार :-

- 1- आवेक्कगण की ओर से ग्राम ब्येड़ी राजस्व निरीक्षक मण्डल चाकघाट  
 तहसील त्योंथर स्थित अपनी-अपनी भूमियों खतरा क्रमांक 25/2च, 25/2व 1-

Handwritten signature and date '11/2/12'.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक निग0387-II / 2013

जिला-रीवा

इन्द्रमणि त्रिपाठी वगैरः/गोविन्द प्रसाद मिश्रा

| (1)      | (2)  | (3) |
|----------|--|-----|
| 23.04.19 | <p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अवधेश सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, वृत्त चाकघाट, तहसील त्योंथर के प्रकरण क्रमांक 01/अ-11/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 24.11.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> <br/>           (बी.एम.शर्मा),<br/>           सदस्य         </p> |     |